उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, सहारनपुर क्षेत्र के जलालाबाद स्थित बस स्टेशन/कार्यशाला पर 30 के0वी0ए0 साईलेन्ट फीचर जनरेटर किराये पर लगाये जाने हेतु

निविदा आमत्रंणः–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, सहारनपुर क्षेत्र के जलालाबाद स्थित बस स्टेशन/कार्यशाला हेतु नये साईलेन्ट फीचर 30 के0वी0ए0 जनरेटर सैट लगाने हेतु मासिक किराये पर निविदा आंमत्रित की जाती है। यह निविदा फार्म सेवा प्रबन्धक कार्यालय, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, गिल कालोनी, कोर्ट रोड़, सहारनपुर में निविदा फीस रु0 200+18 प्रतिशत जी0एस0टी = रू0 236 धनराशि जमाकर कार्यालय अवधि में निविदा फार्म प्राप्त कर सकते है। निविदा प्रपत्र, नियम व शर्ते तकनीकी बिड एवं फाईनेन्शियल बिड परिवहन निगम की वैबसाईट www.upsrtc.com से भी डाउनलोड की जा सकती है जिसके साथ रु0 236 का डिमान्ड ड्राफ्ट "Service Manager, U.P.S.R.T.C.Saharanpur" के नाम होगा। जो मूलरूप में निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा तकनीकी बिड का लिफाफा संख्या 01 एवं फाईनेशियल बिड का लिफाफा संख्या 02 दिनांक 10.02.2020 को समय 14:30 बजे तक सेवा प्रबन्धक कार्यालय, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, गिल कालोनी, कोर्ट रोड़, सहारनपुर में टेण्डर बॉक्स में डाला जायेगा। निर्धारित समय 14:30 बजे के बाद प्राप्त होने वाली निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदा निर्धारित समय 15:30 बजे सभी निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय क्षेत्रीय समिति द्वारा लिया जायेगा। तकनीकी बिड के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "तकनीकी बिड लिफाफा नम्बर–01 जलालाबाद" एवं फाईनेशियल बिड के लिफाफे पर "लिफाफा नम्बर–02 जलालाबाद" लिखा होना चाहिये। दोनों लिफाफो पर फर्म का नाम लिखा होना चाहिये।

लिफाफा नम्बर –01– तकनीकी बिड लिफाफे में तकनीकी बिड के साथ लगाये जाने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र–

1. निविदा फीस रूपये 236 का वैद्य डीडी मूलरूप से लगाया जायेगा। जोकि "Service Manager, U.P.S.R.T.C.Saharanpur" के नाम होगा।
2. रूपये 7500.00 की प्रतिभूति धनराशि का डिमान्ड ड्राफ्ट "Service Manager, U.P.S.R.T.C.Saharanpur" के नाम होगा। वैद्य डीडी मूलरूप में लगाया जायेगा।
3. पेन कार्ड की छायाप्रति स्वप्रमाणित।
4. जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति।
5. फर्म का किसी भी सरकारी उपक्रम/निगम में तीन वर्ष कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। और वर्तमान में भी कार्य कर रहा हो। सम्बन्धित अभिलेखो की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
6. फर्म का कैन्सिल चैक (जिस पर फर्म का नाम लिखा हो)
7. बैंक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड।
8. ई–मेल आईडी
9. टेलीफोन/मोबाईल नम्बर
10. विगत 03 वर्षो के इनकम टैक्स रिर्टन की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें।
11. आधार कार्ड नम्बर। स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

Downloaded from www.upsrtc.com

लिफाफा नम्बर –02– फाईनेशियल बिड में मात्र विवरण/दरें भरी जायेगी।

1. **जनरेटर मासिक किराये का विवरणः–**

   जनरेटर का मासिक किराया (जीएसटी, सभी करों एवं लगाये जाने वाले कार्मिकों के देयक, जनरेटर का मैन्टीनेंस एवं अन्य समस्त खर्च सहित)..

   - अकों में...
   - शब्दों में...

नोटः– जनरेटर मासिक किराये में डीजल का खर्च शामिल नहीं है।

2. **डीजल खपत का विवरण :–**

   डीजल खपत प्रस्तावित–..............................(लीटर प्रति घन्टा)

   - अकों में...
   - शब्दों में...

<u>**नियम एवं शर्तेः–**</u>

1. निविदा के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय क्षेत्रीय समिति द्वारा लिया जायेगा।
2. किसी भी निविदा अथवा सम्पूर्ण निविदा कार्यवाही को बिना कारण बताये अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार परिवहन निगम की क्षेत्रीय समिति द्वारा लिया जा सकता है। क्षेत्रीय समिति का निर्णय अन्तिम निर्णय होगा तथा समस्त निविदादाताओं को मान्य होगा।
3. जनरेटर का संचालन हेतु एक वर्ष का अनुबन्ध किया जायेगा। सन्तोषजनक पाये जाने पर पुनः दो वर्ष हेतु अनुबन्ध का नवीनीकरण किया जा सकेगा। परन्तु नवीनीकरण परिवहन निगम की बाध्यता नहीं होगी।
4. जनरेटर की क्षमता 30 के0वी0ए0 होनी चाहिये।
5. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर नया जनरेटर लगाना होगा।
6. जनरेटर का संचालन निविदाकर्ता द्वारा अपने कार्मिक के द्वारा ही कराया जायेगा। जनरेटर में पावर बैकअप की सुविधा 24 घंटे के आधार पर उपलब्ध करानी होगी। जनरेटर खराब होने की स्थिति में संचालन हेतु दूसरा जनरेटर तत्काल उपलब्ध कराना होगा।
7. जनरेटर के संचालन हेतु ऑपरेटर, मोबिल ऑयल, मेन्टीनेन्स एवं कलपूर्जे एवं समस्त अन्य व्यय निविदादाता द्वारा ही वहन किये जायेगे। समस्त देय करों एवं वैधानिक औपचारिकताओं को पूर्ण करने का दायित्व निविदादाता का ही होगा। इस प्रयोजन के हेतु लगे कार्मिक निविदादाता के कार्मिक ही होगें। इन समस्त कार्मिकों को देय भुगतान, बीमा, फन्ड आदि की जिम्मेदारी निविदादाता की ही होगी। यदि किसी कार्मिक को कार्य करते समय अथवा कार्य पर आते–जाते समय चोट लगती है अथवा दुर्घटना होती है तो उसका इलाज एवं क्षतिपूर्ति की भरपाई फर्म को करनी होगी तथा

Downloaded from www.upsrtc.com

अन्य विधिक उत्तरदायित्व फर्म का होगा। फर्म द्वारा लगाये गये कार्मिक शारीरिक रूप से कमजोर अथवा नाबालिक नहीं होने चाहिये।

8. जीएसटी, फन्ड आदि की जो भी सूचना परिवहन निगम द्वारा मांगी जायेगी। फर्म द्वारा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
9. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ध्वनि एवं वायु प्रदूषण का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अन्य औपचारिकताये पूर्ण करने का दायित्व निविदादाता का होगा।
10. किराये पर लगे जनरेटर में इलेक्ट्रोनिक घंटा मीटर लगा होना चाहिये। जनरेटर का लॉग बुक मेन्टेन किया जायेगा जिस पर डिपो फोरमैन द्वारा प्रतिदिन जनरेटर चलाने की अवधि का सत्यापन मीटर से मिलान कर किया जायेगा।
11. फर्म किसी भी सरकारी उपक्रम/निगम से ब्लैक लिस्टिड नहीं होनी चाहिये।
12. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक डिपो द्वारा बिल सत्यापित व प्रतिहस्ताक्षरित कर प्रेषित किया जायेगा। जनरेटर के मासिक किराये का बिल, डीजल व्यय का भुगतान RTGS के माध्यम से किया जायेगा। डीजल का भुगतान जलालाबाद की स्थानीय बाजार दर पर ही देय होगा।
13. कार्य असन्तोषजनक होने एवं टेण्डर के नियमों का पालन न करने पर, निगम के किसी अधिकारी/उपाधिकारी द्वारा फर्म के विरूद्ध रिपोर्ट करने पर बिना सूचना के अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा। अनुबन्ध निविदादाता एवं सम्बन्धित स्थल के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के मध्य निस्पादित किया जायेगा। निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने पर अनुबन्ध पत्र एवं अन्य औपचारिकतायें पूर्ण करनी होगी। अनुबन्ध में आने वाला स्टांप शुल्क फर्म को वहन करना होगा।
14. जनरेटर का समय-समय पर डीजल औसत का निर्धारण परिवहन निगम द्वारा गठित समिति के द्वारा किया जायेगा। जिसके सदस्य निविदादाता/प्रतिनिधि भी होगे। उनके द्वारा निर्धारित डीजल औसत के आधार पर व्यय डीजल अथवा वास्तविक व्यय डीजल में जो न्यूनतम होगा उसके आधार पर भुगतान किया जायेगा। प्रति 03 माह में डीजल औसत की समीक्षा गठित समिति द्वारा की जायेगी।
15. निविदादाताओं द्वारा मासिक किराया एवं जनरेटर उपभोग में वास्तविक डीजल खपत तथा निविदा में अंकित खपत प्रति घंटा में जो भी कम होगा, के आधार डीजल मूल्य का भुगतान किया जायेगा।
16. निविदादाता द्वारा प्रस्तावित किराये एवं डीजल मूल्य पर परिवहन निगम द्वारा किसी प्रकार के करों का अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा। समस्त करों एवं वैधानिक देयकों का भुगतान निविदादाता को ही करना होगा। निविदादाता फर्म द्वारा प्रेषित बिलों से नियमानुसार टी0डी0एस0(आयकर) की कटौती कर देयको का भुगतान किया जायेगा। निविदा में लिखित नियम व शर्तों के अतिरिक्त अन्य कोई नियम व शर्त चयनित फर्म के साथ किसी भी समय लागू की जा सकती है।
17. परिवहन निगम अथवा शासन द्वारा भविष्य में दिये गये समस्त निर्देश तथा देयकर आदि निविदादाता फर्म पर लागू होगें।
18. बिजली आपूर्ति बन्द होने के बाद समय पर जनरेटर नहीं चलता है तो उक्त स्थिति में देयकों में से कटौती की कार्यवाही सम्बन्धित उपाधिकारी/अधिकारी द्वारा की जायेगी।
19. न्यनतम निविदा वह मानी जायेगी जोकि मासिक किराया व निविदा में अंकित डीजल खपत लीटर प्राति घंटा के आधार पर भुगतान की जाने वाली धनराशि का निर्धारण के योग में न्यूनतम होगा। डीजल खपत पर भुगतान की जाने वाली धनराशि के निर्धारण

Downloaded from www.upsrtc.com

में अनुमानित 180 घंटे के आधार पर गणना की जायेगी तथा न्यूनतम लैण्डेड कोस्ट की गणना के लिये क्षेत्रीय समिति उपलब्ध डीजल दरों का उपयोग करेगी। इस सम्बन्ध में समिति का निर्णय अन्तिम होगा तथा समस्त निविदादाताओं को मान्य एवं बाध्यकारी होगा।

20. असफल निविदाकर्ताओं को प्रतिभूति धनराशि का डिमान्ड ड्राफ्ट वापिस किया जायेगा। निविदा फीस नोन रिफन्डेबल होगी। चयनित निविदाकर्ता के समय से नया जनरेटर उपलब्ध न कराये जाने पर प्रतिभूति धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

21. यदि सम्बन्धित फर्म के किसी भी कार्मिक अथवा उपकरण से परिवहन निगम को किसी भी प्रकार की कोई क्षति होती है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

22. जनरेटर संचालन अथवा अन्य प्रयोजन के लिये निविदादाता द्वारा जो कार्मिक लगाये जाते है उनके पुलिस सत्यापन की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

23. अनुबन्ध में कोई भी नियम व शर्त हटाने अथवा जोड़ने का अधिकार क्षेत्रीय समिति को होगा, जोकि समस्त निविदादाताओं को मान्य होगा।

24. अनुबन्ध को किसी भी समय बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सेवा प्रबन्धक को होगा, जोकि समस्त निविदादाताओं को मान्य होगा।

25. अग्नि शमन के समस्त उपायें, जनरेटर के कनेक्शन, ट्रान्सपोर्टेशन आदि की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

26. यदि निविदादाता अनुबन्ध अवधि के मध्य जनरेटर हटाना चाहता है तो कम से कम 03 माह पूर्व परिवहन निगम को इस आशय की सूचना/नोटिस देना होगा अन्यथा की दशा में परिवहन निगम निविदादाता की प्रतिभूति राशि जब्त करने एवं निगम को होने वाली क्षतिपूर्ति निविदादाता से किये जाने के लिये स्वतंत्र/अधिकृत होगा। परिवहन निगम किसी भी समय एक माह का नाटिस देकर बिना कोई कारण बतायें अनुबन्ध समाप्त कर सकता है।

27. समस्त निविदादाताओं द्वारा निविदा दिये जाने पर यह स्वतः माना जायेगा कि समस्त निविदादाताओं को निविदा हेतु दी गयी समस्त नियम व शर्तें मान्य है।

कार्यालय सेवा प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सहारनपुर।

पत्रांक 256 /से0प्र0/स0पुर/निविदा–जनरेटर/2020 दिनांक 03.12.2020

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्राविधिक/संचालन) महोदय, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित है।
2. प्रधान प्रबन्धक (एम0आई0एस0/विविध) परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को निगम वैबसाइट पर अपलोड हेतु सादर प्रेषित है।
3. क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0परिवहन निगम सहारनपुर क्षेत्र।
4. सहायक प्रबन्धक(वित्त)/स0क्षे0लेखाधिकारी सहारनपुर।

Downloaded from www.upsrtc.com

5. सहायक प्रबन्धक(एम0आईएस0) परिवहन निगम मुख्यालय को वैबसाइट पर विज्ञप्ति प्रकाशित किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
6. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम सहारनपुर/छुटमलपुर/मुजफ्फरनगर/खतौली/शामली/गंगोह/जलालाबाद डिपो को इस आशय से प्रेषित है कि वें अपने अधीनस्त बस स्टेशनों/कार्यशाला में नोटिस बोर्ड पर इस विज्ञप्ति की प्रति चस्पा कराया जाना सुनिश्चित करें।
7. नोटिस बोर्ड, क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय एवं सेवा प्रबन्धक कार्यालय तथा समस्त डिपो कार्यशाला/बस स्टेशन/क्षेत्रीय कार्यशाला, सहारनपुर क्षेत्र।

सेवा प्रबन्धक
सहारनपुर।

Downloaded from www.upsrtc.com

निविदा प्रपत्र मूल्य रू0 236/– (जीएसटी सहित)

तकनीकी बिड, 30 के0वी0ए0 जनरेटर जलालाबाद (सहारनपुर क्षेत्र)
प्रपत्र –01 (लिफाफा 01 में रखना है।)

1– निविदा दाता फर्म का नाम एवं पूर्ण पता–..

....

2–नॉन रिफण्डेबल निविदा फीस रुपये 236.00 का विवरण–बैंक का नाम..........................

(डीडी मूलरूप में संलग्न किया जायेगा।) जारी ड्राफ्ट संख्या..........................

3– रूपये 7500.00 का प्रतिभूति धनराशि का विवरण– बैंक का नाम..........................

(डीडी मूलरूप में संलग्न किया जायेगा।) जारी ड्राफ्ट संख्या..........................

4– पैन कार्ड का नम्बर–.......................... (स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

5– जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन नम्बर–..........................(स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

6– फर्म का किसी भी सरकारी उपक्रम/निगम में तीन वर्ष कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। और वर्तमान में भी कार्य कर रहा हो। सम्बन्धित अभिलेखो की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

7– फर्म का कैन्सिल चैक (जिस पर फर्म का नाम लिखा हो) स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

8– बैंक का नाम ....

खाता संख्या..........................

आई0एफ0एस0सी0 कोड..........................

9– ई0मेल आईडी..........................

10– टेलीफोन/मोबाईल नम्बर..........................

11– विगत 03 वर्षो के इनकम टैक्स रिर्टन की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें।

12– आधार कार्ड नम्बर.......................... (स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

मेरे द्वारा उक्त दी गई सूचनायें सही है एवं यदि उसमें कोई सूचना गलत साबित होती है तो इस हेतु मेरे विरूद्ध कोई भी कार्यवाही की जा सकती है।

हस्ताक्षर | हस्ताक्षरकर्ता का नाम

पद नाम | दिनांक

अधिकारिक मोहर

Downloaded from www.upsrtc.com

फाईनेशियल बिड, 30 के0वी0ए0 जनरेटर जलालाबाद (सहारनपुर क्षेत्र)
प्रपत्र –02 (लिफाफा 02 में रखना है।)

निविदादाता फर्म का नाम एवं पूर्ण पता–..

....

1. **जनरेटर मासिक किराये का विवरण:–**

जनरेटर का मासिक किराया (जीएसटी, सभी करों एवं लगाये जाने वाले कार्मिकों के देयक, जनरेटर का मैन्टीनेंस एवं अन्य समस्त खर्च सहित)..

- अकों में..
- शब्दों में..

नोट:– जनरेटर मासिक किराये में डीजल का खर्च शामिल नहीं है।

2. **डीजल खपत का विवरण :–**

डीजल खपत प्रस्तावित–..............................(लीटर प्रति घन्टा)

- अकों में..
- शब्दों में..

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम

Downloaded from www.upsrtc.com